



12.03-2022

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत महवा में पेश हुई। वादी द्वारा दिनांक 08-3-2022 को प्राप्ति काका विद्वान किये जाने दावा पेश किया गया कि पक्षकारान में आपस में समझौदा से राजीनामा हो गया है इसलिए अपना मुकदमा आगे चलाना नहीं करते तथा दावे को विद्वान किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अतः वादी का प्रार्थना-पत्र काका विद्वान किये जाने दावा स्वीकार किया जाता है। कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द (शेरोप) की जाती है। पत्रावली फेशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


व्यवस्थापक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)